राजस्व वाद 106/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00166
दुर्जनसिंह वगैरह बनाम् बजरंगसिंह वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 106/2020

वादीगण–
1. दुर्जनसिंह चावड़ा पुत्र बजरंगसिंह
2. किशनसिंह चावड़ा पुत्र बजरंगसिंह
3. भरतसिंह चावड़ा पुत्र बजरंग सिंह

जातियान– रावणा राजपूत निवासीगण–लुणसरा ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. बजरंगसिंह पुत्र पूनमसिंह
2. उर्मिला कंवर पुत्री बजरंगसिंह
3. कौशल्या कंवर पुत्री बजरंगसिंह
4. तीजू कंवर पुत्री बजरंगसिंह
5. चुका कंवर पुत्री बजरंगसिंह
   जाति– रावणा राजपूत निवासी– लुणसरा, तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–
1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री राजकुमार शेखावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशथ सिंह शेखावत अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री राजकुमार शेखावत अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा लूणसरा तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 1513/68, 1514/297, 1515/379, 504/ में वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 4149 दिनांक 21.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 दुर्जनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 1515/379 रकबा 1.8373 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

10/11/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. वादी संख्या 2 किशनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 504 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में से 0.7932 हैक्टेयर अर्थात 4.18 बीघा पूर्वी हिस्सा व खेत खसरा नंबर 1513/68 रकबा 1.2221 हैक्टेयर में से 0.6231 हैक्टेयर अर्थात 3.17 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 भरतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 504 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में से 1.2788 हैक्टेयर अर्थात 7.18 बीघा उतरी हिस्सा व खेत खसरा नंबर 1513/68 रकबा 1.2221 हैक्टेयर में से 0.5989 हैक्टेयर अर्थात 3.14 बीघा उतरी भाग रखा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 1514/297 रकबा 1.4002 हैक्टेयर अर्थात 8.13 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
5. बंटवाड़ा प्रस्ताव में खसरा नंबर 1513/68 के रकबे की कुल भूमि का मिलान नहीं होने से बंटवाड़ा प्रस्ताव के खसरा नंबर 1513/68 रकबा 1.2221 में से वादी संख्या 2 किशनसिंह के हक बंट में 0.6231 हैक्टयेर की जगह 0.6232 किया जाना उचित है।

निर्णय आज दिनांक 10/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

10/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner